

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023—श्रावण 13, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023

क्र. एफ 5-18-2021-एक (1).—माननीया न्यायाधिपति, श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4279-(दो-1-11-2021) दिनांक 27 जून 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 5 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित

प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है।

क्र. एफ 5-24-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3514-(दो-1-22-2021) दिनांक 23 जून 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 17 से 18 अप्रैल 2023 तक, दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ-3-6-0006-2023-जीएडी-1-01(जीएडी).—माननीया न्यायाधिपति, श्री सुजाय पॉल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3516-(दो-1-3-16), दिनांक 23 जून 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 22 मई से 2 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023

क्र. एफ 1-37-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल को दिनांक 7 से 11 अगस्त 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 06 व 12-13 अगस्त 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार सहित इन्डोनेशिया की एवं दिनांक 23 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2023 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 अक्टूबर व 11 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अकेले यू. एस. ए. (बोस्टन) की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1-98-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 31 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29-30 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में बैंकाक (थाईलैण्ड) की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नु भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2023

पंजी. क्र. 3668-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती निधि निलेश श्रीवास्तव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर का स्थानांतरण नियमित न्यायालय 16वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड इंदौर-रिक्त नवीन न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023

फा. क्र. 3701-इक्कीस-ब(एक)-2023.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
"2.	बड़वानी	श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वानी."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 3701-XXI-(B-I)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
"2.	Barwani	Smt. Sandhya Manoj Shrivastava, IIIrd District and Additional Sessions Judge, Barwani."

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of her office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023

फा. क्र. 3704-इक्कीस-ब(एक)-2023.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)
“16.	नर्मदापुरम	श्री सिराज अली, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम.”

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 3704-XXI(B-I)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 16 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of Special Judge (3)
“16.	Narmadapuram	Shri Siraj Ali, II nd Additional Judge to the Court of 1 st District and Additional Sessions Judge, Narmadapuram”.

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2023

फा. क्र. 3252-2023-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान अथवा भूतपूर्व संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध संस्थित आपराधिक प्रकरणों में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा पदाभिहित विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु उप संचालक, लोक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा 10 वर्ष से अनिम्न या उससे अधिक सेवा का अनुभव वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी को संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों के आपराधिक मामलों के विचारण हेतु विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है. उपरोक्त नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजक के मध्य कार्य का आवंटन इस आदेश के अधधीन रहते हुए, संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा.

F. No. 3252-2023-XXI-B(2).—“In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the State Government, hereby, appoints Deputy Director, Public Prosecution, District Public Prosecution Officer, Additional District Public Prosecution Officer and such Assistant District Public Prosecution Officer who has service experience of not less than 10 years or more, as Special Public Prosecutor to proceed prosecution before the Special Courts as designated by the High Court of Madhya Pradesh for trial of criminal cases instituted against the present or former Member of Parliament or Member of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh. Allocation of work amongst the Special Public Prosecutors appointed supra shall be done by the Director, Public Prosecution, Madhya Pradesh subject to this order.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2023

पंजी क्र. 3175-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री चंद्रसिंह पटेल का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2023

क्र.-यूडीएच-3-0137-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 3432-टी.सी.-108-मुरैना-उपां-नग्रां-2022, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मुरैना विकास योजना, 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्र.	ग्राम / तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम बड़ोखर, तहसील मुरैना नगर, जिला मुरैना.	703 704 705/1 705/2 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715	0.3550 0.0310 0.0160 0.3390 0.1880 0.0310 0.0100 0.1460 0.0210 0.1050 0.3760 0.0730 0.0310 0.0730	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग.	वाणिज्यिक एवं मार्ग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		716	0.0100		
		717	0.0310		
		718	0.0940		
		719	0.0100		
		720	0.0630		
		721	0.0520		
		722	0.0210		
		723	0.0310		
		724	0.0210		
		योग	2.1280		

नोट.—

- भूमि के उत्तर दिशा स्थित विद्यमान वर्तमान Kailaras मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 45.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग मध्य से 22.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.
- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
- उपरोक्त उपांतरण मुरैना विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/5 जुलाई 2023

क्र. 1623-1324696-2023-बयालीस-2.—विभागीय आदेश क्रमांक 1391-1324696-2023-42-2, दिनांक 8 जून 2023 के द्वारा "मध्यप्रदेश कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड" का गठन किया गया है. उक्त आदेश में "मध्यप्रदेश कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड" के स्थान पर "मध्यप्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड" पढ़ा जाये. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र. 1135-358-2020-ए-सोलह.—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के गठन संबंधी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 4 अगस्त, 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 600-358-2020-ए-सोलह, दिनांक 29 जुलाई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, कंडिका 2 की उप कंडिका (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-कंडिका स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(ख) “प्रवासी श्रमिक” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे तथा 1 मार्च 2020 या उसके बाद मध्यप्रदेश राज्य में वापस लौटे हैं एवं जो वर्तमान में राज्य के अन्य जिलों या अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्य की तलाश में गए हैं तथा नियमित रूप से कार्य के लिए प्रवास पर आते-जाते हैं.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 20 जुलाई 2023

क्र. 199-2023-न्या.लि.-11225.—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, खण्डवा संभाग ने उनके पत्र क्रमांक 2891-तशा-मार्ग-नवीनघाट-2023, खण्डवा, दिनांक 19 जुलाई 2023 द्वारा लेख किया गया कि लोक निर्माण विभाग, संभाग खण्डवा अंतर्गत ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित की जा रही आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा स्थल पहुंचने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन घाट पहुंच मार्ग लंबाई 1.47 कि. मी. एवं अस्थायी रपटे तक पहुंच मार्ग लंबाई 0.30 कि. मी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त मार्ग पर से ही संपूर्ण यातायात गुजर रहा है। जिस कारण मार्ग का निर्माण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं निर्माणाधीन मार्ग पर से यातायात गुजरने के कारण मार्ग की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है।

उक्त मार्ग का निर्माण कार्य तीव्र गति से कराया जाकर समयसीमा में कराया जाना है। परन्तु उक्त मार्ग से निरंतर यातायात गुजर रहा है। अतः उक्त मार्ग पर से गुजरने वाले यातायात को पुराने बस स्टेण्ड से होते हुए अभय घाट की ओर डायवर्ट कर गुजरने हेतु आदेश प्रदान किये जाने का लेख किया गया है।

2. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं संतुष्ट हूं कि सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग डायवर्ट किया जाना युक्ति-युक्त होगा। अतएव केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूं कि :—

वर्तमान मार्ग नये बस स्टेण्ड से शमशान घाट तक को प्रस्तावनुसार परिवर्तित कर पुराने बस स्टेण्ड से जे. पी. चौक, अभय घाट से शमशान घाट की ओर डायवर्ट (परिवर्तित) किया जाता है। केवल निर्माणाधीन मार्ग से प्रतिमा निर्माण से संबंधी सामग्री के गुजरने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश दिनांक 20 जुलाई 2023 से कार्य समाप्ति की अवधि तक के लिये पेटा 2(1) के अनुसार प्रभावशील होगा।

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 23 जून 2023

क्र. 849-रीडर-एसडीएम-2023.—प्रमुख राजस्व आयुक्त महोदय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-पी.आर.सी.-आई.टी.-04-0013-2021-आई. टी. सेल-पी.आर.सी.-2717, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा राज्य शासन को भू-अर्जन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली समस्त परियोजना के आवेदन पत्रों को RCMS पोर्टल पर LAMS (Land Acquisition Management System) में ऑनलाईन दर्ज किये जाने एवं निर्धारित समय सीमा अनुसार चरणबद्ध रूप से निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक-821-भू-अर्जन-2023, दिनांक 26 मई 2023 के द्वारा सुजानपुरा खास, राजनगर, देवीनगर, तहसील बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त कर नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः, ग्राम सुजानपुरा खास, राजनगर, देवीनगर, तहसील बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

बीरेन्द्र सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी.

राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

सरदारपुर, दिनांक 19 जुलाई 2023

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2956-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0015-अ-82-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर एवं डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01, 02, 05, 06 एवं 07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83	1052	0.005
			1040	0.030
			1053	0.065
			1051	0.135
			1025	0.020
			1026	0.053
			1027	0.096

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83	1037/2	0.008
			1037/3	0.045
			1038/2	0.068
			993	0.038
			972	0.015
			971	0.033
			975	0.048
			966	0.040
			965/1	0.010
			948/1	0.035
			940/3	0.035
			943	0.005
			940/2	0.070
			950/1	0.020
			950/2	0.015
			950/3	0.015
			950/4	0.015
			950/5	0.013
			950/6	0.015
			916/1	0.028
			519	0.132
			505/2	0.102
			504	0.013
			455/1	0.040
			520	0.010
			1151	0.048
			523	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83	524 / 2	0.036
			526	0.016
			527	0.076
			681	0.028
			772 / 2	0.006
			477 / 1	0.035
			915 / 2	0.010
			915 / 1	0.009
			916 / 2	0.013
			921	0.041
			919	0.040
			924	0.020
			925	0.012
			911 / 2	0.015
			1153 / 4	0.056
			926	0.034
			927 / 1	0.035
			911 / 4	0.013
			1144	0.080
			1145 / 2	0.028
			688 / 1	0.017
			1145 / 1	0.035
			1146	0.006
			1149	0.025
			1150 / 1	0.013
			1174 / 1 / 2	0.035
			1170	0.030
			1176	0.035
			1175	0.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83	1174 / 2	0.039
			1197 / 1	0.099
			1199 / 1	0.050
			442 / 1	0.067
			442 / 2	0.018
			509	0.104
			1206 / 2	0.010
			1206 / 1	0.045
			508	0.058
			507 / 1	0.008...
			506 / 1 / 1	0.030
			505 / 1	0.040
			522	0.048
			698	0.031
			688 / 2	0.021
			495 / 2	0.090
			761 / 2	0.006
			496 / 1	0.035
			496 / 3 / 1	0.043
			496 / 3 / 2	0.077
			497	0.010
			498 / 2	0.028
			498 / 1	0.021
			499	0.031
			469 / 1	0.043
			420	0.016
			468	0.027
			433 / 2	0.023
			449 / 1	0.023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83	459/1	0.036
			442/3	0.039
			440	0.013
			439/2	0.006
			438	0.004
			500/1	0.020
			466	0.040
			467	0.013
			465/2	0.046
			412/2	0.030
			459/2	0.043
			458/1	0.030
			455/2	0.058
			521	0.039
			503/4	0.015
			507/2	0.050
			1198/2	0.054
			1173	0.047
			1174/1/1	0.030
			1150/2	0.037
			1153/1	0.010
			1152	0.018
			316/2	0.020
			315/2	0.014
			524/1/2	0.026
			524/1/1	0.026
			549	0.024
			567/1	0.010
			550/2	0.038

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83	551/1	0.031
			548	0.072
			568	0.016
			569/3	0.010
			569/2	0.007
			569/1	0.007
			752	0.005
			567/2	0.010
			566	0.016
			699	0.004
			1174/3	0.050
			697/1/1	0.010
			747/2	0.034
			751	0.008
			753/1	0.014
			756/1	0.006
			761/1	0.010
			495/1	0.033
			423/1	0.021
			411	0.010
			769/1	0.014
			769/2	0.014
			764	0.010
			771/3	0.040
			802/1/1	0.023
			771/2/2	0.010
			802/2/1	0.026
			771/1/2	0.055
			802/1/2	0.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83	800	0.070
			796	0.063
			795	0.115
			479	0.073
			422	0.034
			412 / 1	0.031
			386 / 1	0.104
			315 / 1	0.050
			योग..	5.262

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2961-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0060-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझोरा, प.ह.नं.-73, तहसील-रारदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझोरा, प.ह.नं.-73	433 / 2	0.008
			433 / 1	0.086

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा, प.ह.नं.-73	432	0.034
			402/2	0.080
			402/1	0.018
			399/1	0.018
			398	0.012
			399/2	0.023
			396	0.066
			395	0.006
			344/2	0.038
			378	0.039
			345/2	0.005
			346/2	0.015
			353/2	0.048
			353/1	0.026
			352	0.052
			योग..	0.574

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2966-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0061-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मेहगांव, प.ह.न.-73, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-मेहगांव, प.ह.नं.-73	302/2	0.014
			303/2	0.024
			301/3	0.008
			303/1	0.019
			योग..	0.065

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2971-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0062-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम चिचोड़िया, प.ह.नं.-75, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-चिचोड़िया, प.ह.नं.-75	251/2	0.004
			251/1	0.025
			योग..	0.029

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-3026-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0079-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-4 व एल. एम.-4 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम. 08 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं.-77, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं.-77	455	0.021
			454	0.035
			428	0.053
			431/1	0.043
			436/4	0.019
			436/2	0.021
			437	0.049
			419	0.065
			361/3	0.025
			356/4	0.027
			360	0.030
			277/1/1	0.011
			280/1	0.015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं.-77	281	0.009
			59/2	0.012
			55/1	0.030
			56/1	0.035
			57	0.005
			402/3	0.035
			401	0.065
			388/2	0.048
			385	0.106
			301	0.041
			300	0.068
			304/2/3	0.013
			304/2/2	0.013
			304/2/1	0.013
			304/1	0.031
			277/2/2	0.013
			277/2/1	0.011
			277/1/3	0.008
			277/1/2	0.008
			योग..	0.978

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2976-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0067-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-05 एवं आर. एम.-08 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-पटलावदिया, प.ह.नं.-57, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-पटलावदिया, प.ह.नं.-57	639	0.051
			633	0.077
			630	0.034
			579	0.043
			580	0.006
			581	0.021
			582	0.040
			566/2	0.024
			566/1	0.014
			565	0.026
			564	0.080
			563/3	0.019
			546/3	0.033
			545/2	0.008
			546/2	0.004
			547/3	0.021
			547/2	0.020
			555/2	0.009
			554/1	0.044
			516/2/1	0.037
			516/1	0.003
			515/1	0.051
			514	0.028
			446/2	0.010
			456/2	0.027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-पटलावदिया, प.ह.नं.-57	456 / 1	0.024
			458 / 2	0.070
			281 / 1	0.008
			458 / 4	0.007
			458 / 1	0.013
			455 / 2	0.021
			277 / 3	0.019
			279	0.031
			280 / 1	0.020
			282	0.033
			283	0.005
			289	0.010
			814 / 4	0.017
			814 / 3	0.018
			814 / 2	0.017
			814 / 1	0.033
			योग..	1.076

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2981-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0065-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-20 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम भरावदा, प.ह.नं.-68, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-भरावदा, प.ह.नं.-68	39	0.012
			37	0.080
			32	0.066
			29	0.085
			26	0.020
			185/1	0.056
			200	0.046
			199	0.040
			198	0.003
			195/2	0.015
			योग..	0.423

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2986-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0064-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-20 एवं आर. एम.-20 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम.-5 व एल. एस. एम.-7 के निर्माण उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-भीलगुन, प.ह.नं.-68, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं

डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-भीलगुन, प.ह.नं.-68	37	0.012
			36	0.047
			34	0.086
			27 / 1	0.036
			27 / 2	0.050
			24 / 2 / 5	0.068
			24 / 2 / 3	0.053
			54	0.003
			55 / 1	0.026
			56	0.038
			60	0.032
			59 / 2	0.024
			72	0.078
			35	0.055
			26 / 3	0.021
			26 / 4	0.005
			52 / 2	0.010
			52 / 3 / 1	0.018
			52 / 3 / 2	0.012
			73	0.021
75	0.041			
77 / 2	0.035			
77 / 1 / 2	0.024			
77 / 1 / 1	0.012			
93	0.006			
92				
			योग..	0.857

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2991-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0066-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-26 व एल. एम.-26 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह. नं.-66, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला-धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह.नं.-66	959	0.004
			961/2	0.019
			956	0.029
			955/2	0.023
			920	0.037
			955/1	0.033
			923	0.023
			919/4	0.038
			919/3	0.020
			919/1	0.004
919/2	0.026			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई, प.ह.नं.-66	913	0.053
			911	0.035
			912	0.040
			915/1	0.010
			624/1	0.036
			625/1	0.015
			598/4	0.003
			594/2	0.016
			623/2	0.019
			623/5	0.020
			623/1	0.020
			623/4	0.018
			617	0.075
			616	0.047
			615	0.053
			612	0.055
			528/1	0.005
			529	0.040
			532	0.025
			530/1	0.066
			540/1	0.015
			530/2	0.024
			540/2	0.003
			531/2	0.040
			545	0.040
			625/2	0.018
			626/1	0.018
			626/2	0.009
			596	0.010
			581	0.012
			595	0.022
			597	0.022
			594/1	0.016
			564/3	0.068
			564/2	0.050
			565	0.031
			योग..	1.305

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-2996-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0063-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बामनखेड़ी, प.ह.नं.-70, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-बामनखेड़ी, प.ह.नं.-70	425	0.030
			424	0.042
			421	0.017
			402/2	0.063
			404	0.005
			406	0.023
			403/1	0.104
			397	0.033
			395	0.045
			393/2/2	0.025
			393/2/1	0.025
			393/1/2	0.022
			योग..	0.434

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-3001-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0003-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-20 व एल. एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-घटोदा, प.ह.नं.-69, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-घटोदा, प.ह.नं.-69	406/2	0.003
			408/1/1	0.096
			408/1/2/1	0.020
			411	0.051
			412	0.065
			413/2	0.009
			773/1	0.018
			772	0.033
			764/1	0.034
			763	0.030
			762	0.038

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-घटोदा, प.ह.नं.-69	765/1	0.003
			729/1/2/1	0.083
			729/2/2	0.051
			714/1	0.033
			713/2	0.051
			710	0.046
			671/2/1	0.040
			671/1/2	0.045
			674/1/1	0.018
			673/1	0.024
			612/1/3/2	0.071
			739/1/1	0.034
			674/1/2	0.018
			612/1/4	0.003
			739/1/2	0.041
			612/1/3/1	0.043
			612/1/2	0.061
			563/2	0.009
			564/7	0.019
			564/3	0.019
			562/1	0.024
			564/6/2	0.010
			564/6/1	0.010
			564/5	0.019
			564/4	0.019
			564/2/6	0.010
			564/2/5	0.010
			564/1	0.019
			775/2	0.031
			777/2	0.054
			792	0.059

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-घटोदा, प.ह.नं.-69	793	0.009
			778	0.053
			779/ 2/2	0.086
			791/2	0.019
			794	0.046
			795	0.032
			753/2	0.018
			739/2	0.067
			382/2	0.032
			372/1/1	0.033
			381	0.021
			372/2/2	0.012
			372/2/1	0.012
			372/3	0.021
			372/4	0.021
			372/5	0.020
			372/6	0.036
			372/7/1	0.023
			372/8	0.021
			372/7/2	0.036
			373	0.045
			148	0.020
			141	0.058
			142	0.004
			143	0.004
			144	0.046
			132	0.011
			133	0.040
			130	0.018
			96	0.063
			95/4	0.026
			49	0.035
			33/2	0.029
			योग..	2.391

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-3006-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0002-ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-26 व एल. एम.-26 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-दसई, प.ह.नं.-67, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-दसई, प.ह.नं.-67	1658	0.055
			1415	0.016
			1659/3	0.006
			1653/6	0.037
			1661	0.018
			1664	0.060
			1670	0.027
			1676	0.004
			1673	0.025
			1685	0.028
			1722	0.027
			1709	0.015
			1706/1	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-दसई, प.ह.नं.-67	1496/2	0.084
			1495/1	0.048
			1497/1	0.015
			1473/1	0.022
			1493	0.015
			1484	0.057
			1483/2	0.009
			1483/2715	0.021
			1482	0.012
			1479	0.028
			1472	0.030
			454	0.005
			453	0.015
			452	0.024
			450/2	0.018
			450/1	0.018
			463	0.009
			464/2	0.019
			464/1	0.020
			438	0.030
			436/1	0.012
			470	0.004
			471	0.015
			473	0.003
			422/4	0.009
			422/3	0.009
			422/2	0.009
			422/1	0.009
			421	0.010
			417/2	0.011
			502	0.011
			500	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-दसई, प.ह.न.-67	493/1	0.002
			509	0.019
			512	0.006
			510	0.005
			511/2	0.013
			517	0.061
			835	0.011
			833	0.028
			832/3	0.020
			832/2	0.020
			832/1	0.020
			848	0.018
			846/2	0.008
			911	0.011
			910	0.023
			909	0.015
			907	0.025
			906	0.009
			920/1	0.050
			921	0.036
			924/1/1	0.013
			923	0.072
			110	0.062
			29/3	0.020
			29/2	0.030
			20/2	0.015
			16/2	0.017
			29/1	0.012
			20/1	0.012
			16/1	0.005
			19/2	0.032
			19/1	0.025
			20/3	0.025
			13	0.014
			31	0.009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-दसई, प.ह.न.-67	14	0.022
			1744 / 1 / 1	0.031
			1745 / 1 / 1	0.006
			1744 / 2	0.031
			1743 / 2	0.009
			1799 / 2	0.031
			1800	0.026
			1801 / 1 / 1	0.004
			1427	0.033
			1422	0.043
			1421	0.020
			1420	0.037
			1412	0.009
			2217	0.039
			2213	0.014
			2211	0.027
			2212	0.008
			2210 / 2	0.059
			2209	0.080
			2205	0.025
			2206	0.031
			2257	0.031
			2265	0.010
			2264	0.038
			2266 / 2 / 1	0.010
			2266 / 1	0.039
			2270 / 3	0.043
			2263 / 1	0.020
			2270 / 1	0.002
			5	0.049
			6	0.024
			2 / 2	0.023
			1 / 3	0.020
			2 / 1	0.023
			योग..	2.620

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-3011-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0039-अ-82-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-01 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल. एम.-04 पाईप नहर एवं आर. एस. एम.-08 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बोदला, प.ह.न.-77, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोदला, प.ह.न.-77	466 / 3	0.081
			464 / 2	0.030
			121 / 3	0.040
			466 / 2	0.018
			465 / 2 / 1	0.006
			464 / 1	0.032
			121 / 2	0.034
			465 / 1	0.025
			464 / 4	0.032
			121 / 1	0.003
			408	0.010
			407 / 2	0.015
			180	0.012
409 / 2	0.032			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोदला, प.ह.न.-77	409/1	0.016
			407/1/1/1	0.005
			412	0.055
			400/1	0.030
			399/1	0.004
			425	0.026
			224	0.013
			231	0.040
			234	0.040
			232	0.034
			218	0.025
			203	0.017
			181/4	0.022
			181/3	0.046
			181/2	0.040
			181/1	0.013
			184	0.033
			169	0.054
			167	0.134
			166	0.056
			153	0.050
			144	0.052
			145/2	0.005
			118	0.075
			120/3	0.032
			122	0.038
			योग..	1.325

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-3016-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0044-अ-82-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-उण्डेली, प.ह.न.-77, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-उण्डेली, प.ह.नं.-77	427 / 3	0.010
			411	0.044
			427 / 2	0.010
			423 / 1	0.005
			424	0.030
			423 / 2	0.033
			418	0.027
			416 / 3	0.069
			406 / 2	0.038

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.-3021-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.0041-अ-82-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-03 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल. एम.-13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-सुल्तानपुर, प.ह.नं.-96, तहसील-सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-सुल्तानपुर प.ह.नं.-96	26	0.074
			100	0.010
			101	0.031
			102	0.023
			103	0.023
			104	0.067
			106	0.068
			107	0.016
			108	0.066
			112/1	0.026
			113/1	0.027
			113/2	0.026
			116	0.031
			149	0.055
			150/3	0.033
			163	0.022
			164	0.065
			1119	0.014
			160/2/2	0.024
			159	0.040
			158	0.035
			1120	0.016
			1112	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धार	सरदारपुर	ग्राम-सुल्तानपुर	1010	0.040
		प.ह.नं.-96	1108	0.028
			1104	0.019
			1100	0.008
			865	0.013
			867	0.023
			862	0.003
			870	0.017
			871/1	0.009
			871/2	0.008
			890	0.031
			891	0.020
			892	0.008
			योग..	1.023

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राज.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी,
भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 27 जुलाई 2023

संशोधित अधिसूचना

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र.-3317-भू-अर्जन-री-1-2023.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 83.045 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलाई बुजुर्ग, तहसील भीकनगांव से ग्राम-बड़िया, तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आखापुरा, प.ह.नं.-18/77, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-आखापुरा, प.ह.नं.-18/77	12/1	0.042
			13/3	0.020
			13/2	0.053
			13/1/3	0.053
			13/1/2	0.047
			13/1/4	0.020
			13/4	0.018
			68/1/3	0.035
			66, 68/2	0.003
			64	0.018
			63/1	0.055
			63/2	0.040
			62	0.014
			54	0.014
			60	0.019
			58/1	0.045
			59/1	0.019
			59/2	0.079
			79/2	0.010
			79/8	0.024
93/1/1	0.038			
93/1/2	0.043			
93/2	0.002			
92/3	0.020			
92/4	0.050			
92/2	0.005			
92/6	0.057			
92/1	0.034			
योग..				0.877

संशोधित अधिसूचना

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र.-3319-भू-अर्जन-री-1-2023.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 39.00 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम दौड़वा, तहसील भीकनगांव से ग्राम-बोरगांव, तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बोरगांव, प.ह.नं.-12, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-बोरगांव, प.ह.नं.-12	81/2/1	0.020
			81/2/2	0.020
			81/3	0.016
			107/1/4	0.036
			111/2	0.041
			111/3	0.002
			127/1/1	0.003
			127/1/2	0.007
			128/5	0.004
			168/11	0.004
			168/12	0.026
			168/13	0.010
			128/6	0.011
128/7	0.009			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-बोरगांव, प.ह.नं.-12	128/8	0.008
			134/2	0.004
			134/3	0.007
			134/4	0.007
			135/1/1	0.004
			135/1/2/2	0.003
			135/1/2/3	0.006
			135/2	0.007
			136/1	0.008
			136/2	0.007
			137/2	0.020
			137/3	0.022
			137/7	0.024
			163/7	0.026
			163/9	0.012
			163/10	0.009
			163/11	0.018
			386/2	0.024
			386/5	0.014
			388	0.006
389	0.013			
390/1	0.023			
390/2/1/2	0.010			
390/2/1/1	0.010			
390/2/2/1	0.013			
412	0.019			
			योग..	0.533

प्ररूप "घ"

[नियम-6 देखिए]

क्र.-3321-री-1-भू-अर्जन-2023.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 236/भू-अर्जन-री-1-2023, भीकनगांव, दिनांक 06-01-2023 द्वारा राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 83.045 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03, ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तहसील भीकनगांव से ग्राम-बड़िया, तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-01, 28, 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामन्या बुजुर्ग, प.ह.नं.-60/104, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20-01-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-जामन्या बुजुर्ग, प.ह.नं.-60/104	10/2	0.025
			12/2	0.025
			10/1	0.055
			13	0.095
			15]	0.045
			16]	
			17/2	0.120
			17/1	0.015
			23/1	0.025
			23/2	0.063
			23/3	0.063
			26/7	0.025
			26/5	0.005
			26/10	0.010
			27/1	0.065
			73/1	0.130
			74	0.075
			5/1	0.070
			7/1	0.005
			6/2	0.068
			3/6	0.040
			17/4/1/1	0.033
			17/4/1/4	0.033
			20/1	0.054

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-जामन्या बुजुर्ग, प.ह.नं.-60/104	20/2	0.054
			20/3	0.024
			30	0.138
			67/4	0.025
			62/1	0.054
			63/5/1	0.030
			63/4	0.030
			63/3	0.020
			63/2/1	0.030
			63/1	0.008
			61/5/2	0.008
			61/4	0.008
			61/1/1	0.050
			151	0.020
			235	0.030
			236/1/9	0.060
			236/1/6	0.045
			236/1/7	0.055
			236/1/10	0.010
			236/1/5	0.010
			236/1/11	0.010
			236/1/12	0.010
			47/1/1	0.063
			47/6/1	0.035
			46/1	0.075
			260	0.015
			49/1	0.053
			50/2	0.015
			49/2	0.010
			50/1	0.040
			योग..	2.179

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राज.) व सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 मई 2023

भू-अर्जन प्र.क्र.अ 82-23-24-पत्र क्र. 526-भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बढौरा मुडवार	0.014	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की बढौरा सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2023

रा0प्र0 क्र.-0001-अ-82-2023-2024.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2-ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	अमरवाडा	ग्राम-चुरका, प.ह.न.-56, ब.न.-90, रा.नि.म.-पौनार	1. डालचंद पिता जमना प्रसाद, जाति मेहरा, निवासी ग्राम भूमिस्वामी	297/2	0.075	बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु.
					योग .	0.075

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 जुलाई 2023

प्र.क्र.07-अ 82-वर्ष 2023-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	कुवरपुर	निजी भूमि रकबा 10.747 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 10.747 0 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई	मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन (पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.08-अ 82-वर्ष 2023-2024.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर कुर्मियान	निजी भूमि रकबा 0.420 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.420 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई	मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत एप्रोज नहर निर्माण कार्य हेतु (पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.09-अ 82-वर्ष 2023-2024.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बरियारपुर भूमियान	निजी भूमि रकबा 0.200 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई	मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत एप्रोज नहर निर्माण कार्य हेतु (पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 21 जून 2023

प्र. क्र.-002-अ-82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण-

(क) जिला	सीहोर
(ख) तहसील	बुधनी
(ग) नगर/ग्राम का नाम	नारायणपुर
(घ) क्षेत्रफल	0.606 हेक्टेयर
खसरा नम्बर (मे से)	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
172/1	0.098
172/2	0.142
81	0.366
योग . .	0.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-
जैत-नारायणपुर मार्ग से हनुमान मंदिर तक भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-003-अ-82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण-

(क) जिला	सीहोर
(ख) तहसील	बुधनी
(ग) नगर/ग्राम का नाम	बम्होरी
(घ) क्षेत्रफल	0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (मे से)	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
58/1	0.012
58/2	0.012
67/1/1/1	0.040
योग	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बम्होरी-सोमलवाडा मार्ग निर्माण भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा,
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2023

क्र. 4580-भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण-

(क) जिला	छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील	चांद
(ग) नगर/ग्राम	ग्राम-बम्हनीपुरा मोहगांव, प.ह.न.-24, ब.न.-191, रा.नि.मं.-चांद
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां,

प्रस्तावित खसरा नं. (1)	प्रस्तावित रकबा (हे मे.) (2)	(ग) नगर/ग्राम	बांकानागनपुर, प.ह.न.-43, ब.न.-195, रा.नि.मं.-चौरई
63/2, 66/8, 66/11,	0.075		
152/12	0.026	(घ) अर्जित किये जाने वाला	कुल रकबा-0.810
152/9	0.027	प्रस्तावित क्षेत्रफल	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
40/6	0.022		क्षेत्रफल पर आने वाली
	योग . . .		संपत्तियां,
	0.150		प्रस्तावित रकबा (हे में.)
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत नहर निर्माण किये जाने हेतु.		प्रस्तावित खसरा नं. (1)	(2)
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.		536/1	0.150
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		537/1	0.090
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		543/1	0.380
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01 तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		490/6	0.125
		228/2, 230/1, 231/2	0.065
			योग . . .
			0.810
		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित, भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माइनर नहर निर्माण किये जाने हेतु.	
		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	
		(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
		(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, पेच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	

क्र. 4581-भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण-
(क) जिला
(ख) तहसील

छिन्दवाड़ा
चौरई

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

भू-अर्जन-0001(अ-82)2020-21-55-0002(अ-82)2020-23-24

मण्डला, दिनांक 10 जुलाई 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	बरवानी प.ह.नं. 60 पाटन प.ह.नं. 79 ठेको प.ह.नं. 66	1.80 0.34 0.47	जल संसाधन संभाग मण्डला	बरवानी जलाशय एवं नहर हेतु
		कुल योग	2.61		

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 05 अ-82-22-23-भू-अर्जन-कोहल्या-7431

बैतूल, दिनांक 17 जुलाई 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	कोहल्या	0.104	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेलवे बैतूल @ नागपुर	इटार्सी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	सया पत्नी रामराव, मल्लू पुत्री धुड़ल्या, कला बे. गन्नू, शंकर, जानराव, सया, बापया, कमला पिता गन्नू	216	0.959	0.077
2	सया पति रामराव	217/3	0.120	0.020
3	यमुनाबाई बे. चिन्ध्या, उर्मिला बे.साहेबराव, हेमंत, ज्योति, पुष्पा पिता साहेबराव, जयप्रकाश, राजेन्द्र, मुकेश, परसराम पिता चिन्ध्या, सया, गया, संतोषराव पिता गोमा	218	0.336	0.002
4	धन्नू पुत्र घुड़्या, शंकर, जानराव, बाया, सया, कमला पिता गन्नू, कला बे. गन्नू, प्रेमलाल, वामन, परिसीमा, गुंताबाई बे. उकण्ड्या	235	0.514	0.005
	योग	4	1.929	0.104

1 - चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटार्सी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 1977-भू-अर्जन-2023-प्र.क्र. 03-अ-82-2023-24

रतलाम, दिनांक 14 जुलाई 2023

(अतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग सैलाना के चिराखादन तालाब योजना " अन्तर्गत जिला रतलाम की तहसील बाजना के प.ह.नं. 32 के ग्राम बोरपाडा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/2-ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	नानुराम पिता हुरजी जाति भील डामर निवासी ग्राम बोरपाडा	36	0.080	--	0.080	—
2	बाबू लालू गीदू पिता मोती दिनेश, पिन्दू मिट्टू लालू सूनी, अंतू लजी, पिता मडिया सोवली बैवा मडिया, राजू जोवा, वजीह, रिकू पिता जीवा, शान्ति बैवा जीवा जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा	40	0.100	--	0.100	—
3	शंकर पिता नागजी जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा	232	0.150	--	0.150	—
4	दहलींग पिता दीपा जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा	111	0.490	--	0.490	—
5	मकू पिता सूखला जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा	113	0.060	--	0.060	—
6	राम, माना, रावजी पिता देवू जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा	39 110	0.200	--	0.200	—
7	बाबू पिता अक्कू जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा	109 114/1	0.380	--	0.380	—

8	कालू, रामचन्द्र पिता कोदर व हानि बेवा कोदर जाति भील निवासीग ग्राम बोरपाडा	127	1850	—	1.850	—
9	भोदर पिता धुलिया निवासी ग्राम बोरपाडा	226 228	0.660	—	0.660	—
10	सोहन, कमल पिता जीवणा व मांगुडी बेवा जीवणा व नागजी, रामा, धावरा, प्रभु पिता उकार जाति डामर निवासी ग्राम बोरपाडा	297 233	0.380	—	0.380	—

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-1979-भू-अर्जन-2023-प्र.क्र. 03-अ82-2023-24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग सैलाना के चिराखादन तालाब योजना" जम्शमत्त जिला रतलाम की तहसील बाजना के प.ह.नं. 32 के ग्राम चिराखादन के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/2-ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधीहरताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कूल	
1	नाथा, भावजी पिता दौला खराड़ी जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	309	—	0.100	0.100	—
2	हुकिया, गौतम, उकार, मावजी पिता पूजा थापरिया बें. पूजा, जीवणा, कांजी पिता मल्लु सुकली बेवा मल्लु शांति पुत्री मल्लु कांजी जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	231	—	0.120	0.120	—
3	हरू, भेरू, पुत्र पुंजा, लालू, वालू, सोहन, कैलाश, श्यामलाल, देवचन्द्र पुत्र बददा, पुनि बेवा बददा, मुंशी, काली पुत्र/पुत्री दहलिंग, लीला बेवा दहलिंग, रमेश पुत्र जोहरिंग, कमल पुत्र दहलिंग, नाथू पुत्र जिवणा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	128 140 138/343	1.000	0.690	1.690	—

4	मकु, अकु, मांगु, हकरु, कैलाशपुत्र सुकला, जोत्या, गोत्या, हुकला, दुबली, पुत्र/पुत्री मल्लू, जूजी, बैवा मल्लू बददा, ऊंकार, करमो, गोबरिया पुत्र जगजी, भुंडिया, हुरुपाल (ना.बा.) पुत्र धर्मा, कोदरी बैवा धर्मा, देवा पुत्र लिम्बा, कमजी, लालू, बालू, सुगल, कांता, श्यामा पुत्र /पुत्री सकुडा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	121 137 303 305 306	1.160	2.890	4.050	—
5	बददो, ऊंकार, गोबरिया पुत्र जगजी, झुंडिया, हुरपाल (ना.बा.) पुत्र धर्मा, कोदरी बैवा धर्मा, लालजी, बालजी, पुजा, राजु, पुत्र करमा, दितुसाई बैवा करमा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	310	—	0.230	0.230	—
	गौतमा पिता मंगला जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	143	—	0.050	0.050	—
	गौतम पिता नागजी जाति भील हारी भूदान धारक गोड़ भोपाल म.प्र. निवासी ग्राम चिराखादन	134	0.080	—	0.080	—
8	परधुन, कालिया पिता बिज्या जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	117 118 119 120	0.810	1.030	1.640	—
9	मांगु पिता वागला निवासी ग्राम चिराखादन	126	—	0.080	0.080	—
10	हरु पुत्र पुंजा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	301	0.630	0.400	1.030	—
11	दोलीबाई बैवा रूपा निवासी ग्राम चिराखादन	129	0.600	0.400	1.000	—
12	जौती पुत्र नागजी जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन	234	0.020	—	0.020	—
13	तोलिया, तेरसिंह, दोलसिंह, मिददू पुत्र भोदर, मंगलीबाई बैवा भोदर, लालू, बालू, पुत्र पुंजा, गंगाबाई बैवा पुंजा जीयणा पुत्र लूजा, निवासी रतलाम ग्राम चिराखादन	224	—	1.000	1.000	—
14	देवा- लिम्बा जाति भील मुनिया निवासी ग्राम चिराखादन	116	—	0.100	0.1000	—
15	तोलिया, तेरसिंह, दोलसिंह, मिददू पुत्र भोदर व मंगलीबाई बैवा भोदर, लालू, बालू, पुत्र पुंजा, गंगाबाई बैवा पुंजा, जीयणा, पुत्र लूला निवासी ग्राम चिराखादन	123	0.120	—	0.120	—

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना एवं कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन विभाग रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 06 अ-82-2023-24

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	बरखेडा बोंदर	1.5290	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा हे० में	प्रभावित रकबा हे० में
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्रीमती जोली शुक्ला पत्नी अजय शुक्ला नि 21 सुल्तानया इन्फेन्ट्री भोपाल	144/1/2	0.0620	
2.	सैय्यदा शाहीन सुल्ताना पत्नी मीर याकूब अली मीर याकूब अली पिता मीर मुमताज अली नि ओसीपुरा मसब अँक हैदराबाद चौकसे नगर डी आईजी बंगला भोपाल सैय्यद मुबीन मुबारक पुत्र सैय्यद खालिक मुबारक नि पीरगट भोपाल अयाज अली पुत्र नियाज अली पराग भार्गव पिता भारत भूषण भार्गव, श्रीमती नन्दिता भार्गव पत्नी पराग भार्गव श्रीमती प्रीति अग्रवाल पत्नी सुधीर अग्रवाल श्रीमती रीना शर्मा पत्नी केशव शर्मा	144/1/1	0.7270	0.4530
		किता-2 (कुल रकबा)	0.7890	0.4530

3.	सरवत रजा पत्नी इरशाद मेहमूद अब्दुल हक शेख पिता अ0 शाकिर शेख श्रीमती शगुफता यासमीन पति अब्दुल हक शेख बिलकिस जहां पत्नी मो0 शफी अय्यूब पुत्र रहीम खान उम्मे कुलसुम पुत्री अशफाक उर रहमान श्रीमती वंदना पुत्री अजय इन्तेखाब मोहम्मद खान पुत्र हबीबउल्ला अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल अजीज मो0 आमिर खान पुत्र इकबाल मो0 खान सरवत अली नजमी पुत्र मो0 उमर श्रीमती शारदा मिश्रा पत्नी अखिलेश जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मण व अन्य 25 सहखातेदार	141/1, 142	0.7710	0.1930
4.	रामकिशन पुत्र जगन्नाथ जाति काछी 1/3 भाग नारायण सिंह पुत्र जगन्नाथ रवि पुत्र जगन्नाथ जाति काछी आजम अख्तर पुत्र अजहर हुसैन राजकुमारी पुत्री लक्ष्मीनारायण रामकिशन नारायणसिंह रवि पुत्र जगन्नाथ व अन्य तीन सहखातेदार मंगेज सिंह पिता भैरो सिंह नि भोपाल आर एल आनंद पिता आर ए शिवशंकरन व अन्य 4 सहखातेदार श्रीमती शहनाज खान पत्नी मो0 इलयास कुमारी प्रीति भार्गव पुत्री भारत भूषण सैय्यद इकबाल हुसैन पुत्र सैय्यद इश्तियाक हुसैन नि भोपाल राजकुमारी पत्नी लक्ष्मीनारायण, हरमीत सिंह कपूर पुत्र जोगेन्द्र सिंह कपूर, श्रीमती नीता कपूर पत्नी हरमिन्दर सिंह कपूर व अन्य 8 सहखातेदार श्रीमती साहेबजादी हुमा दाउद पत्नी दाउद रहमान व अन्य 2 सहखातेदार श्रीमती पुष्पा सोनगरा पत्नी मनोहर श्रीमती बिलकिस हुसैन पत्नी रिजवान श्रीमती बिलकिस हुसैन पत्नी रिजवान	144/2/1/1 144/2/1/2 144/2/2 144/2/3/1/1 144/2/3/1/2 144/2/3/1/3 144/2/3/1/4 144/2/3/1/5 144/2/3/1/6 144/2/3/2/1 144/2/3/2/3 144/2/3/2/2 144/2/3/2/4 144/2/3/2/5	0.0300 0.0350 0.0650 0.5940 0.0510 0.1130 0.0370 0.0510 0.0650 0.7180 0.0930 0.0370 0.0290 0.0330	0.7780
		किता-13	1.951	0.7780
5.	रेहाना तहसीम पत्नी सैय्यद मोहम्मद तहसीन	651/ 569/2/1	0.1050	0.1050
	कुल योग		3.6160	1.5290

चूंकि रामगंज मण्डी नई बड़ी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2023

—: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक - 13/अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 05-06-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक - 13/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 05-06-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम पुरा कुमारा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम पुरा कुमारा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण

ग्राम पुरा कुमार, तहसील खिलचीपपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान पुराकुमारा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	भवरलाल पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	28/1 33/2/1	0.672 0.286	0.083 0.087
	योग		0.958	0.170
2	मानसिंह पिता गुलाब, गेंदाबाई बेवा गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	28/2 33/1/1	0.672 0.286	0.083 0.087
	योग		0.958	0.170
3	पर्वत सिंह पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	28/3 33/3/1	0.672 0.287	0.084 0.086
	योग		0.959	0.170
4	रतनलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	30/1	0.119	0.058
	योग		0.119	0.058
5	रामलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	30/2	0.119	0.058
	योग		0.119	0.058
6	कवरलाल, चन्दर सिंह, उदे सिंह पिता भवरलाल जतन बाई बेवा भवरलाल जाति सौंध्यानिवासी पुराकुमारा भुस्वामी	30/3	0.118	0.058
	योग		0.118	0.058
7	बीरमसिंह पूरसिंह पि. नंदा भगवान घनश्याम पि. रामलाल ग्यारसीबाई बैवा रामलालजाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	34/2/1 43/37	0.490 0.052	0.200 0.025
	योग		0.542	0.225
8	भगवान सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/2	0.149	0.100
	योग		0.149	0.100
9	बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जातिसौंध्यानिवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/1	0.149	0.100
	योग		0.149	0.100
10	भेरुलाल पिता कंवरलाल अनोखेबाई पत्नी भेरुलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/2/1	0.447	0.095
	योग		0.447	0.095
11	फूलसिंह पिता भंवरलाल गुलाबबाई पति फूलसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/5/1	0.393	0.120
	योग		0.393	0.120
12	बापू पिता मांगीलाल जानाबाई पति बापू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/9/1	0.471	0.210
	योग		0.471	0.210
13	देवीसिंह पिता रामलाल सिंह जातिसौंध्यानिवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/21/2/1 43/21/2/3	0.020 0.339	0.020 0.297
	योग		0.359	0.317

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान पुराकुमारा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित रकबा, रेलवे द्वारा पृथक से प्रस्तावित अनुपुरक प्रस्ताव हेतु (हेक्टेयर)
1	बीरमसिंह पूरमिह पि. नंदा भगवान घनश्याम चि. रामलाल ग्यारसीबाई बेवा रामलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	34/2/1	0.490	0.034
		43/13/1	0.798	0.126
		43/16/1	0.023	0.023
		43/17/2/1	0.360	0.163
			1.671	0.346
2	योग देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	39/1	0.047	0.047
		43/36/1	0.198	0.157
			0.245	0.204
3	सम्पतबाई पत्नी जगन्नाथ जाति भील निवासी पिडावा झालावाड़ राजस्थान भुस्वामी	31/1/1	0.331	0.113
			0.331	0.113
4	पारीबाई पति स्व कालू देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	31/2/1	0.825	0.400
			0.825	0.400
			0.211	0.157
5	धीसालाल पिता भवरलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/4/1	0.211	0.157
			0.211	0.157
6	फुलसिंह पिता भवरलाल गुलाबबाई पति फुलसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/9/5/1	0.393	0.066
			0.393	0.066
			0.149	0.025
7	बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/1	0.149	0.025
			0.149	0.025
8	भगवानसिंह पिता नारानसिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/4/1/2	0.149	0.025
			0.149	0.025
9	गंगाराम पिता धूला जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/5/1	0.225	0.182
			0.225	0.182
10	कान्तिबाई पति बनेसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/17/1/1	0.291	0.140
			0.291	0.140
11	उदेसिंह पिता भवरलाल जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी	43/21/3	0.674	0.172
			0.674	0.172

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक - 12 /अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 05-06-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक - 12/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE(C)/KTT/ADDITIONAL-LAND/KHILCHIPUR DATED 05-06-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गंगापुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा - 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गंगापुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण

ग्राम गंगापुरा, तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान गंगापुरा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर) धारा 10 अनुसार
1	मोतीलाल पिता कालू, दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	9/2/1 1/8/2	0.224 0.125	0.072 0.051
	योग		0.349	0.123
2	हरी सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	57/2/1/1	0.259	0.140
	योग		0.259	0.140
3	सोरमबाई पति मांगीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	56/1/1/1/ 2	0.316	0.235
	योग		0.316	0.235
4	कालीबाई पति रामलाल, छगनबाई पति अनारसिंह	55	0.429	0.218

	जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी			
	योग		0.429	0.218
5	हरीसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	51/1/1	0.189	0.045
	योग		0.189	0.045
6	गिरवरसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	51/2/1	0.189	0.045
	योग		0.189	0.045
7	अनारसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	51/3/1	0.189	0.045
	योग		0.189	0.045
8	बिरम सिंह पिता मदन जातिसौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	28	0.656	0.024
	योग		0.656	0.024
9	गंगाराम पिता गोपीलाल जातिसौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	1/18/1 49/1/1 50/2/3/1	0.095 0.368 0.111	0.095 0.368 0.111
	योग		0.574	0.574
10	मोहनलाल पिता लक्ष्मण कोशल्याबाई पति मोहन जाति बलाई निवासी सेमलीकलाँ भुस्वामी	1/16/12	0.500	0.265
	योग		0.500	0.265
11	गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	50/2/1	0.687	0.067
	योग		0.687	0.067
12	भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	50/2/2	0.687	0.107
	योग		0.687	0.107

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान गंगापुरा	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	श्रीलाल पिता कालु जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	1/22/1 1/25/1 5/2/1	0.493 0.174 0.227	0.312 0.050 0.227
	योग		0.894	0.589
2	करणसिंह मानसिंह पिता जगन्नाथ, धीरपसिंह कमलसिंह पिता भवरलाल, सम्पतबाई बेवा भवरलाल,	52/1	0.079	0.079

	चंद्रकलाबाई संतोषबाई अनीताबाई पुत्री बनेसिंह, गोरीलाल श्रीलाल पिता बनेसिंह नोरंगबाई बेवा बनेसिंह, हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंध्यानिवासी मोतीपुरा भुस्वामी		0.079	0.079
	योग		0.187	0.187
3	कालीबाई पति रामलाल, छगनबाई पति अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी	53/1	0.187	0.187
	योग		0.187	0.187
4	मोतीलाल पिता कालू, दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी	1/8/2	0.125	0.074
	योग		0.125	0.074
5	गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	50/2/1	0.687	0.620
	योग		0.687	0.620
6	भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी	50/2/2	0.687	0.580
	योग		0.687	0.580

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-5612-भू-अर्जन-2023

सिवनी, दिनांक 31 जुलाई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा(मुंडरई) जलाशय परियोजना के पिकअप वियर बंड, डूब क्षेत्र व बायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बावत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1 ग्राम का नाम :- गनेशगंज प.ह.नं. :- 105 रा.नि.मं. :- लखनादौन तहसील :- लखनादौन जिला :- सिवनी
2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 0.45 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधीन अर्जन के क्षेत्रफल (हे० म)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	श्रीरामचंद्रमंदिर सहजपुरी सरवराहकार कमलकांत चौकसे निवासी सहजपुरी प्रबंधक पिता जिलामहोसिवनी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	श्रीरामचंद्र मंदिर की शेष भूमि	अशोक पि. रम्मूलाल की भूमि	शासकीय सडक	ग्राम सरहद अन्य ग्राम की भूमि				
2	269/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	अशोक पिता रम्मूलाल जाति गुप्ता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	श्रीरामचंद्र मंदिर की भूमि	विनोद वगैरह पि. रम्मूलाल की भूमि	शासकीय सडक	अशोक पि. रम्मूलाल की शेष भूमि				
3	269/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	विनोद कुमार, मनोज कुमार, अमोदकुमार पिता रम्मूलाल जाति बनिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अशोक पि. रम्मूलाल की भूमि	विनोद वगैरह पि. रम्मूलाल की शेष भूमि	शासकीय सडक	विनोद वगैरह पि. रम्मूलाल की शेष भूमि				
योग	3			0.45						-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-5613-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा(मुंडरई) जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र बंड लाइन एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1 ग्राम का नाम :- मुन्डरई प.ह.नं. :- 12 रा.नि.मं. :- चमारी तहसील :- छपारा जिला :- सिवनी
2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 12.76 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचन I	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति	संख्या	प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	186	भूमिस्वामी	कृषि	1.12	चन्द्रमान झगलो चन्दारवती अनखवती पिता चोखेलाल जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	चैतो बे. दीपचंद की भूमि	शासकीय भू-जल	शासकीय वन	महुआ	01	1	कच्चा कुआँ
2	188/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.23	चैतो बेवा दीपचंद ईशलाल जीतलाल जीतसिंह ईशवती आशवती मानवती ज्ञानवती पिता दीपचंद जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	चंदमान पि. चोखेलाल बगैरह की भूमि	अम्मी पि. समलू की भूमि	शासकीय भू-जल	शासकीय वन	महुआ	04	1	कच्चा कुआँ
3	196/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.49	शराम पि. चुरसीराम की भूमि	शासकीय चारागाह	चेतराम पि. खुरसीराम की भूमि	चेतराम खुरसीराम की भूमि	अम्मी पि. समलू की भूमि	-	-	-	-
4	196/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.49	रामदयाल अच्छेलाल लक्ष्मण पुत्र अम्मिलाल झिगोबाई बेवा अम्मिलाल लच्छोबाई पुत्री अम्मिलाल जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय चारागाह	शासकीय पहाड	चैतो बे. दीपचंद बगैरह की भूमि	शासकीय भू-जल	महुआ चार	04 03	-	-

5	188/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.23	रामदयाल अच्छेलाल लक्ष्मण पुत्र अम्मीलाल झिंगोबाई बेवा अम्मीलाल लच्छोबाई पुत्री अम्मीलाल जाति गौड नि.ग्रा भूमिस्वामी	चैतो बे दीपचंद बगैरह की भूमि	शासकीय भू-जल	शासकीय भू-जल	शासकीय वन	-	-	-	-
6	204/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.01	मनोहर पिता खुरसीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	चैतो बे दीपचंद बगैरह की भूमि	हीरालाल पि. मारु की भूमि	शासकीय वन	शासकीय पहाड	सागौन चार	04 02	-	-
7	203	भूमिस्वामी	कृषि	0.58	हीरालाल हीरामन पिता मारु जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मनोहर पि. खुरसीराम की भूमि	शासकीय पहाड	शासकीय वन	शासकीय पहाड	महुआ कटहल सीता फल सागौन आम नीम	02 01 20 05 02 01	कच्चा कुआ 01	कच्चा मकान 30बाई 20
8	202/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	चैनसिंग पिता अन्तू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ताराचंद पि. अन्तू की भूमि	चैनसिंग पि. खुरसीराम की भूमि	सरस्वती बे. सुम्मा बगैरह की भूमि	शासकीय पहाड	महुआ	01	कच्चा कुआ 01	-
9	192/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.16		कुम्मा पि. अन्तू की भूमि	शासकीय वन	जमनसी पि. बखतलाल की भूमि	सरस्वती बे. सुम्मा की भूमि	-	-	-	-
10	202/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	सरस्वती बेवा सुम्मा विमानसिंह कल्लू रामोबाई पिता सुम्मा गुडडी नाबालिग पिता सुम्मा संरक्षक सरस्वती जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ताराचंद पि. अन्तू की भूमि	चैनसिंग पि. खुरसीराम की भूमि	कुम्मा पि. अन्तू की भूमि	चैनसिंग पि. अन्तू की भूमि	महुआ	02	कच्चा कुआ 1	-
	192/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.16		कन्हैयालाल कलीराम बगैरह की भूमि	शासकीय भूमि	चैनसिंग पि. अन्तू की भूमि	शासकीय भूमि	-	-	-	-
11	202/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	कुम्मा पिता अन्तू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ताराचंद पि. अन्तू की भूमि	चैनसिंग पि. खुरसीराम की भूमि	शासकीय वन	सरस्वती बगैरह की भूमि	महुआ	01	कच्चा कुआ	-
	192/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.16		नुक्खन की भूमि	चैनसिंग पि. अन्तू की भूमि	भददूलाल की भूमि	कन्हैयालाल की भूमि	-	-	-	-
12	233	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	मारु दिपिया पिता गुन्दू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बल्लोबाई बे.लक्खा बगैरह की भूमि	शासकीय भूमि	शासकीय भूमि	शासकीय वन	महुआ	01	-	-
13	202/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	कन्हैयालाल कलीराम हरिराम कलसवती मानवती मानवती पिता ताराचंद जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	हीरालाल पि. मारु बगैरह की भूमि	सरस्वती बे. सुम्मा बगैरह की भूमि	शासकीय वन	शासकीय पहाड	महुआ	02	-	-
	192/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.16		शासकीय भूमि	सरस्वती बैबा सुम्मा बगैरह की भूमि	कुम्मा पि. अन्तू की भूमि	शासकीय भूमि	-	-	-	-

14	200	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	चेनसिंग पिता खुरसीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय पहाड	शासकीय वन	चेनसिंग पि. खुरसीराम की भूमि	मेरसिंग पि. काली चरन की भूमि	महुआ सागौन	04 04		
15	201	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	चेनसिंग पिता खुरसीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय पहाड	चेनसिंग पि. खुरसीराम की भूमि	शासकीय वन	चेनसिंग पि. खुरसीराम की भूमि	-	-		
16	199	भूमिस्वामी	कृषि	0.56	मेरसिंग पिता कालीचरन जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय पहाड	शासकीय वन	चेनसिंग पि. खुरसीराम की भूमि	शासकीय पहाड	महुआ	02		
17	198	भूमिस्वामी	कृषि	0.47	दादूराम पिता खुरसीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भू-जल	शासकीय भू-जल	शासकीय पहाड	शासकीय भू-जल	महुआ	02	क. कुआ 1	
18	189/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.67	नुक्खन पिता गिरानी सकरु पिता सालकराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	कुम्मा पि. अन्तु की भूमि	प्रेमवती पति नुक्खन वगैरह की भूमि	शासकीय वन	महुआ सागौन	04 01	बोर 1	
19	189/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.44	प्रेमवती पति नुक्खन सिपता पति अमरलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	मदनलाल पि. भैयालाल की भूमि	शासकीय भू-जल	प्रेमवती पति नुक्खन वगैरह की भूमि	-	-	बोर 1	
20	193/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	भददूलाल पिता भैयालाल जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	नुक्खन पि. गिरानी की भूमि	जमनसी पि. बखतलाल की भूमि	मदनलाल पि. भैयालाल की भूमि	कुम्मा पि. अन्तु की भूमि	महुआ सागौन	01 02		
21	193/2/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	मदनलाल पिता भैयालाल जाति गौड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	प्रेमवती पति नुक्खन वगैरह की भूमि	जमनसी पि. बखतलाल की भूमि	शासकीय भू-जल	भददू पि. भैयालाल की भूमि	महुआ सागौन	01 03		
22	193/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.28	जमनसी पिता बखतलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	भददू पि. भैयालाल की भूमि	शासकीय वन	शासकीय भू-जल	चेनसिंग पि. अन्तु की भूमि	महुआ सागौन	01 03		
23	192/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	कुम्मा पिता अन्तु जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नुक्खन पि. गिरानी वगैरह की भूमि	चेनसिंग पि. अन्तु की भूमि	भददू पि. भैयालाल की भूमि	ताराचंद पि. अन्तु की भूमि	महुआ	01 01		

24	206/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.55	रामस्वरूप पिता नखतलाल जाति नि.ग्रा. भूमिस्वामी गौड	ग्राम की सीमा	चैतराम पि. खुर्सीराम की भूमि	भगताराम पि. असादू की भूमि	चैतो बे. दीपचंद बगैरह की भूमि	-	-	-	-
25	236	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	नखतलाल पिता अषादू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय पहाड	मंहगिया बे. विपतलाल वगैरह की भूमि	श्रीराम पि. सकत की भूमि	शासकीय पहाड	सागौन	02	-	-
26	235	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	केवल नन्हा छोटे इमरत पिता शिवलाल जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय पहाड	नखतलाल पि. असादू की भूमि	श्रीराम पि. सकत की भूमि	शासकीय पहाड	सागौन	02	-	-
27	232/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रामस्वरूप पिता नखतलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय पहाड	बतोबाई बे. लक्खा बगै. की भूमि	मारु पि. गुन्दू बगैरह की भूमि	शासकीय वन	सागौन	02	-	-
28	232/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	बतोबाई बेवा लक्खा देवेन्द्र मेरसिंग नीलमबाई पिता लक्खा जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	रामस्वरूप पि. नखतलाल की भूमि	शासकीय वन	मारु पि. गुन्दू बगैरह की भूमि	शासकीय वन	महुआ	01	-	-
29	230	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	जमनसी पिता बखतलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	रामस्वरूप पि. नखतलाल की भूमि	जमनसी पि. बखतलाल की भूमि	शासकीय वन	सागौन	07	-	-
30	229	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	चैनसिंग पिता अन्तू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	शासकीय पहाड	शासकीय पहाड	जमनसी की भूमि	सागौन	05	-	-
31	247	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	सुरजन पिता बिहारी जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	मंगलू पि. धुन्धु की भूमि	शासकीय वन	ग्राम की सीमा	सागौन महुआ	04 03	-	-
32	206/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.80	भगताराम पिता अषादू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ग्राम की सीमा	शासकीय चरनोई	विजय ना.बा. पि. कालीचरण की भूमि	रामस्वरूप पि. नखतलाल की भूमि	-	-	-	-
33	60	भूमिस्वामी	कृषि	0.30	महेश सिंह पिता दादूराम बक्सरिया भूमिस्वामी जाति नि.ग्रा.	शासकीय चरनोई	सतीश सिंह पि. महेश की भूमि	शासकीय वन	सतीश सिंह पि. महेश की भूमि	सागौन	04	-	-
34	6/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	सतीशसिंह महेशसिंह बकसरिया भूमिस्वामी पिता जाति नि.ग्रा.	कुमदेश पि. निधानसिंह की भूमि	किशोरी पि. छिदामी की भूमि	शासकीय वन	बबीता बे. सेतेन्द्र की भूमि	सागौन	03	-	-
योग	37			12.76						वृक्ष	11 9	09	

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (सिजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-5614-भू-अर्जन-2023.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा(मुंडरई) जलाशय परियोजना के बांध, डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम :- सुखारैयत प.ह.नं. :- 12 रा.नि.मं. :- चमारी तहसील :- छपारा जिला :- सिवनी
2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 7.38 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	क्र. स्वामित्व प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मी)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		रचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	74	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	कौशल्याबाई जौ. भगताराम जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	शासकीय वन	ग्राम की सीमा रेखा	शासकीय वन	महुआ चार सागौन सीता फल	02 04 04 10	क.कुआ 02 क. नकान 01 बोर 1	30 x 20
2	82	भूमिस्वामी	कृषि	1.10		शासकीय वन	यशवंत पि. तुलाराम की भूमि	शासकीय वन	शासकीय वन	-	-	-	-
3	72/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	बरखतियाबाई बेवा अंजनलाल सुम्मीलाल सुमेरी सुमरन उमेरसिंह पिता अंजनलाल जाति गोंड नि. ग्रा भूमिस्वामी	शासकीय वन	शासकीय वन	शासकीय वन	निरंगसी पि. नन्हेलाल की भूमि	महुआ चार सागौन बिही सीता फल	02 01 01 03 06	क.कुआ 01	-
4	72/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.45	निरंगसी पिता नन्हेलाल जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	शासकीय वन	बरखतिया बाई बेवा अंजनलाल की भूमि	मंहगिया बाई बे. विपतलाल की भूमि	महुआ	03	क.कुआ 01	-

5	72/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	मंहगियाबाई बेवा विपतलाल राधेश्याम श्यामसिंग रामसिंग पिता विपतलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	शासकीय वन	निरंगसी पि. नन्देलाल की भूमि	शासकीय वन	महुआ सीता फल	01 05	-	-
6	76	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	मिहीलाल मीरलाल केरलाल बा. ईरलाल ना.बा. वली भाई मिहीलाल पि. चमरा मु. अमासो तुलसो ईरवती पि० चमरा जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भू-जल मद	सियावती बे. हंसराम बगै. एवं कस्तूरी विस्तोबाई की भूमि	शासकीय वन	शासकीय वन	महुआ चार सागौन सीता फल	08 08 08	क.कुआ 01	-
7	83/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.70	यशवंतकुमार पिता तुलाराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कौशल याबाई जौ. भगताराम की भूमि	अशोक पि. तुलाराम की भूमि	शासकीय वन	कौशलया बाई जौ. भगताराम की भूमि	सागौन सीता फल	02 10	क.कुआ 01	-
8	83/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.96	अशोक पिता तुलाराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	यशवंत कुमार पि. तुलाराम की भूमि	शासकीय वन	शासकीय वन	गलीचंद पि. किसन की भूमि	महुआ सागौन	05 04	क.कुआ 01	-
9	85	भूमिस्वामी	कृषि	2.25	जबरसी पिता हरलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय वन	तिरन पि. छुट्टी की भूमि	ग्राम की सीमा	शासकीय वन	सागौन बिही केला	03 04 03	क.कुआ 01 क. मकान	30 x 30 फी
10	86	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	तीरन धीरन लोटन सुमेरी सकरो पिता छुट्टी जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी	जबरसी पि. हरलाल की भूमि	शासकीय वन	ग्राम की सीमा	शासकीय वन	महुआ चार	01 03	-	-
योग	10			7.38						वृक्ष	11 9	क.कु 9 क.म. 2	

- 1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कर्मांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- 4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 5615-भू-अर्जन-2023. चूँके राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा(मुंडरई) जलाशय परियोजना के पिकअप वियर बंड, डूब क्षेत्र व बायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम :- बिजना प.ह.नं. :- 106 रा.नि.मं. :- लखनादौन तहसील :- लखनादौन जिला :- सिवनी
2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 2.81 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मं०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति प्रति	संख्या	प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	151	भूमिस्वामी	कृषि	0.46	भीखमसिंह पिता लोखसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी	भीकमसिंह पि. लोखसिंह की शेष भूमि	बांस जामुन कोहवा	03 01 04	प. कु आ 1	-			
2	150	भूमिस्वामी	कृषि	0.34	मेहतू पिता फागू जाति गौड़ नि.ग्रा भूमिस्वामी	शासकीय भूमि नाला	शासकीय भूमि नाला	शासकीय भूमि नाला	भीकमसिंह पि. लोखसिंह की भूमि	आम कोहवा नीम	01 02 02	क. कु आ 1	-
3	269	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	गिरिराजसिंह दिनेशसिंह संतोषसिंह लक्ष्मीबाई यशोदाबाई प्रभाबाई पि. टोपसिंह प्रभाबाई ध.प. स्व. ओमप्रकाशसिंह प्रेमसिंह प्रियंका सुभांगी पिता ओमप्रकाशसिंह शिवकुमारी बेवा शिवदर्शन देवेन्द्र गायत्री बैजंती पिता शिवदर्शनसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी	बालसिंह पिता चोलासिंह की भूमि	अनुराग पि. भोलेचरण की भूमि	शिवदर्शन बगैरह की शेष भूमि	शासकीय भूमि	सागौन कोहवा	02 03	-	-

4	263/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	बालसिंह पिता चोलसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	गिरीराज सिंह पि टोपसिंह की भूमि	बालसिंह की शेष भूमि	शासकीय भूमि	कोहवा	01	-	-
5	271	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	अनुराग ठाकुर पिता भोलेचरनसिंह ठाकुर जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी	गिरीराज सिंह पि टोपसिंह की भूमि	भीकमसिंह पि लोखसिंह की भूमि	अनुराग की शेष भूमि	शासकीय भूमि	सागौन कोहवा	04 02	-	-
6	273	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	भीकमसिंह पिता टोपसिंह भूमिस्वामी	अनुराग पि. भोलेचरण की भूमि	शानिराम पि. पंचम की भूमि	भीकमसिंह पि. टोपसिंह की शेष भूमि	शासकीय भूमि	सागौन कोहवा	02 02	-	-
7	274/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	शानिराम पिता पंचम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	तुलाराम पि. पंचम की भूमि	भीकमसिंह पि. टोपसिंह की भूमि	शानिराम पि. पंचम की शेष भूमि	शासकीय भूमि	सागौन कोहवा	01 02	-	-
8	274/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	तुलाराम पिता पंचम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शानिराम पि. पंचम की शेष भूमि	मकखू पि. पंचम की भूमि	तुलाराम पि. पंचम की शेष भूमि	शासकीय भूमि	सागौन	01	-	-
9	274/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	मकखू पिता पंचम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	तुलाराम पि. पंचम की भूमि	मेरसिंह पि. भंगी की भूमि	मकखू पि. पंचम की शेष भूमि	शासकीय भूमि	-	-	-	-
10	275/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	वीरसिंह पिता भंगी जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मेरसिंह पि. भंगी की भूमि	झनकसिंह पि. सूरजसिंह की भूमि	वीरसिंह पि. भंगी की शेष भूमि	शासकीय भूमि	-	-	-	-
11	275/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	मेरसिंह पिता भंगी जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	मकखू पि. पंचम की भूमि	वीरसिंह पि. भंगी की भूमि	मेरसिंह पि. भंगी की शेष भूमि	शासकीय भूमि	-	-	-	-
12	200/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	इन्द्रकुमार पुत्र छिददीलाल ब्राम्हण नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भूमि नाला	इन्द्रकुमार पुत्र छिददीलाल की शेष भूमि	शासकीय भूमि नाला	इन्द्रकुमार पुत्र छिददीलाल की शेष भूमि	सागौन कोहवा	02 03	-	-
13	200/ 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	ब्रजमोहन पुत्र छिददीलाल ब्राम्हण नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भूमि नाला	ब्रजमोहन पुत्र छिददीलाल की शेष भूमि	इन्द्रकुमार पुत्र छिददीलाल की शेष भूमि	ब्रजमोहन पुत्र छिददीलाल की शेष भूमि	-	-	-	-
14	163/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	मुल्लूसिंह बालसिंह महेशसिंह हेमराजसिंह मीराबाई पिता चोलसिंह कमेलश जानकी अनीता चैनकुमारी पिता तामसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी	महेश पि. चोलसिंह की भूमि	शासकीय भूमि	मुल्लूसिंह बगेरह की शेष भूमि	मुल्लूसिंह बगेरह की शेष भूमि	नौम	01	-	-
15	163/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	महेशकुमार पिता चोलसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी	हेमराग पि. चोलसिंह की भूमि	मुल्लूसिंह बगेरह की भूमि	महेशकुमार पि. चोलसिंह की शेष भूमि	महेशकुमार पि. चोलसिंह की शेष भूमि	-	-	-	-

16	163/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	हेमराज पिता चोलसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	धीरजसिंह पि. सुदामासिंह की भूमि	महेश पि. चोलसिंह की भूमि	हेमराज पि. चोलसिंह की शेष भूमि	हेमराज पि. चोलसिंह की शेष भूमि	-	-	-	-
17	165/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	धीरजसिंह सुदामसिंह राजपुत भूमिस्वामी	धीरजसिंह पि. सुदामासिंह की शेष भूमि	धीरजसिंह पि. सुदामासिंह की शेष भूमि	धीरजसिंह पि. सुदामासिंह की शेष भूमि	धीरजसिंह पि. सुदामासिंह की शेष भूमि	-	-	-	-
18	165/ 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	दलपतसिंह सुदामसिंह राजपुत भूमिस्वामी	दलपतसिंह पि. सुदामसिंह की शेष भूमि	दलपतसिंह पि. सुदामसिंह की शेष भूमि	दलपतसिंह पि. सुदामसिंह की शेष भूमि	दलपतसिंह पि. सुदामसिंह की शेष भूमि	-	-	-	-
19	166/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	ब्रजेन्द्रकुमार रमेशकुमार जाति नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ब्रजेन्द्रकुमार पि. रमेशकुमार की शेष भूमि	धीरजसिंह पि. सुदामासिंह की भूमि	राजेन्द्र पि. घनश्याम की भूमि	ब्रजेन्द्रकुमार पि. रमेशकुमार की शेष भूमि	-	-	-	-
20	167/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	छत्तरसिंह सूरजसिंह जाति नि.ग्रा. भूमिस्वामी	छत्तरसिंह पि. सूरजसिंह की भूमि	ब्रजेन्द्रकुमार पि. रमेशकुमार की शेष भूमि	राजेन्द्र पि. घनश्याम की भूमि	ब्रजेन्द्रकुमार पि. रमेशकुमार की शेष भूमि	-	-	-	-
21	170/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	छत्तरसिंह सूरजसिंह जाति नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अन्य ग्राम की भूमि	ब्रजेन्द्रकुमार पि. रमेशकुमार की भूमि	संतोष पि. सूरजसिंह की भूमि	छत्तरसिंह पि. सूरजसिंह की शेष भूमि	-	-	-	-
22	171/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	राजेन्द्र पिता घनश्याम जाति राजपुत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	संतोष पि सूरजसिंह की भूमि	दौलत पि. सुदामासिंह की भूमि	राजेन्द्र पि. घनश्याम की शेष भूमि	ब्रजेन्द्रकुमार पि. रमेशकुमार की भूमि	-	-	-	-
23	171/ 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	संतोषसिंह सूरजसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा. भूमिस्वामी	अन्य ग्राम की भूमि	राजेन्द्र पि. घनश्याम की भूमि	संतोष पि. सूरजसिंह की शेष भूमि	छत्तरसिंह पि. सूरजसिंह की भूमि	-	-	-	-
योग	23			2.81						वृक्ष	39	02	-

- 1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 5616-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

- 1- ग्राम का नाम :-खामखरेली **अनुसूची** ब.नं.:-113 प.ह.नं.-39
 2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 7.92 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष			संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति	किस्म	संख्या	प्रकार	कुसा का
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	43/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	नबनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल एकता कालोनी सिवनी जाति अग्रवाल पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय (भू-जल)	नबनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल की भूमि	नबनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल की भूमि	कुबर बौरा पुत्र असाडू की भूमि	-	-	-	-	
2	42	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	कुबर, रोहणी, लक्ष्मन बिहारी, लक्ष्मी, प्यारी पुत्रगण असाडू हुलियावि. असाडू गिरधी मोहना सुखबती भूमिस्वामी, नीपा पुत्रगण बैसाखु गारसी वि. बैसाखु जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी	शासकीय (चारगाह)	शासकीय (रास्ता)	नबनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-	

3	38	भूमिस्वामी	कृषि	0.70	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय (रास्ता)	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मु.समनाबाई पुत्र कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
4	39/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	हरिशंकर पुत्र बालाराम जाति गाडरी की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मु.समनाबाई पुत्र कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-	-
5	39/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.53	हरिशंकर पुत्र बालाराम जाति गाडरी पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	विजेश पुत्र मुंशी की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मु.समनाबाई पुत्र कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-	-
6	34/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	मु.समनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	बीजू पिता चैतराम गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	बिसराम पुत्र कलसराम की भूमि	-	-	कच्चे मकान-2	10.70×5.20 मी. 6.60×3.50 मी.	-
7	34/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	बिसराम पुत्र कलसराम जाति गोड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामबागस पुत्र तुलसराम की भूमि	शासकीय (रास्ता)	झड्डा पुत्र छुट्टु जाति गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-	-
8	83	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सुबेतीबाई पुत्री रमला जाति गोड पता सिवनी, मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	मु.समनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मुसुकदतिया पत्नी रंगी की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-	-
9	84	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	झड्डा पुत्र छुट्टु जाति गोड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	मु.समनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मुकुन्दो बेवा रमला जाति गोड की भूमि	बिसराम पुत्र कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-	-

10	86/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	सेमवतीबाई पत्नी नारायणप्रसाद जाति गोड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	बिसराम पुत्र कलसराम जाति गोड की भूमि	अलका बेवा मुरारीलाल जाति अग्रवाल, की भूमि	गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद जाति मेहरा की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-
11	87	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय (रास्ता)	भंगोबाई पत्नी रामचरण अहीर की भूमि	रामबती बेवा ब्रजलाल बागरी की भूमि	सेमवतीबाई पत्नी नारायणप्रसाद जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
12	88	भूमिस्वामी	कृषि	0.63	भंगोबाई पत्नी रामचरण जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामबती बेवा ब्रजलाल बागरी की भूमि	जमनसी, मंगलसी, बगैरा पुत्र पंचम, जाति अहीर की भूमि	शासकीय (चारगाह)	जमनसी, मंगलसी, बगैरा पुत्र पंचम, जाति अहीर की भूमि	-	-	-	-
13	98/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	आशीष वामने राजेश कुमार वामने पिता श्री मेहतर लाल वामने पुत्र महतरलाल जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	धिलिया पिता रोचन मेहरा की भूमि	धिलिया पिता रोचन मेहरा की भूमि	निशा पत्नी प्रदीप मेहरा की भूमि	धिलिया पिता रोचन मेहरा की भूमि	-	-	-	-
14	97/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	धिलिया पिता रोचन जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	आशीष, राजेशकुमार पिता मेहतरलाल वामन की भूमि	शासकीय (चारगाह)	आशीष, राजेशकुमार पिता मेहतरलाल वामन की भूमि	जमनसी, मंगलसी, बगैरा पुत्र पंचम, जाति अहीर की भूमि	-	-	-	-
15	101/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.41	राजकुमार पुत्र दशरथलाल जाति नाइ पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	आशीष, राजेशकुमार पिता मेहतरलाल वामन की भूमि	रामधारी पत्नी राजकुमार सेन की भूमि	शिवकुमारी बेवा धनकुमार सेन की भूमि	शासकीय (न-जल)	-	-	-	-

16	102	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	रामप्यारी पत्नी राजकुमार सेन जाति नाई पता सुभाष वार्ड सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	राजकुमार पुत्र दशरथलाल जाति नाई की भूमि	शासकीय (अ-जल)	शासकीय (रास्ता)	राजकुमार पुत्र दशरथलाल जाति नाई की भूमि	-	-	-	-
17	194/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	आशीष, राजेश पिता श्री मेहतर लाल वामने जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय(अ-जल)	घनश्याम पिता खरगराम जाति मेहरा की भूमि	शासकीय(भू-जल)	कालकाप्रसाद पिता शिवप्रसाद गहलोद की भूमि	-	-	-	-
18	193	भूमिस्वामी	कृषि	0.52	घनश्याम पिता खरगराम जाति मेहरा पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	कालकाप्रसाद पिता शिवप्रसाद गहलोद की भूमि	विजयकुमार पिता खरगराम मेहरा की भूमि	शासकीय (अ-जल)	महतर पुत्र श्यामी गोंड की भूमि	-	-	-	-
19	220	भूमिस्वामी	कृषि	0.45	कोमलप्रसाद पि. रायसिंह जाति मेहरा पता सा. देह. भूमिस्वामी	मनमोहन पिता धिलिया मेहरा की भूमि	विजयकुमार पिता खरगराम मेहरा की भूमि	घनश्याम पिता खरगराम मेहरा की भूमि	मनमोहन पिता धिलिया मेहरा की भूमि	-	-	-	-
20	219	भूमिस्वामी	कृषि	0.78	मनमोहन पिता धिलिया जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामकली बेवा बाबूलाल जाति गोंड, की भूमि	कोमलप्रसाद पि. रायसिंह जाति मेहरा की भूमि	घनश्याम पिता खरगराम मेहरा की भूमि	शासकीय (वन)	-	-	-	-

21	197	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	राजकुमार उड़के पुत्र भोजे उड़के जाति गोंड पता लकवाह छपारा सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड की भूमि	मनमोहन पिता धिलिया मेहरा की भूमि	जमनवती बेबा आदेश जाति गोंड की भूमि	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
22	198	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड की भूमि	अशोक पुत्र महत्तर गोंड की भूमि	रामकली बेबा बाबूलाल जाति गोंड की भूमि	रामकली बेबा बाबूलाल जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
23	196	भूमिस्वामी	कृषि	0.21	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	गिरजा पुत्री महत्तर गोंड की भूमि	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड की भूमि	जमनवती बेबा आदेश जाति गोंड की भूमि	रामकली बेबा बाबूलाल जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
24	195/1/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	गिरजा पुत्री महत्तर जाति गोंड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड की भूमि	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
25	205	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	गिरजा पुत्री महत्तर गोंड की भूमि	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	तुलासाम पिता किसनु गोंड की भूमि	-	-	-	-
26	195/2			0.06	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय भूमि	स्वयं की भूमि	स्वयं की भूमि	शासकीय भूमि				

27	15	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	दयाराम पुत्र बिसनु जाति अहीर, मनीबाई बेवा दादूराम, जाति अहीर, रामगोविंद संतकुमार, रामकृष्ण, धरंजन, निरंजन, कृष्णाबाई, सदाबाई पिता दादूराम जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	गुलसराम बगौरा पिता फकीरचंद की भूमि	शासकीय (वन)	शासकीय (वन)	देवेन्द्रकुमार पुत्र उत्तमसिंह की भूमि	-	-	-	-
28	14/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	गुलसराम फूलसा अमरसिंह गुलसो बुद्धो अनारकली पिता फकीरचंद कपूरिया ध0प0स्व0 फकीरचंद जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शासकीय (वन)	दयाराम पुत्र बिसनु जाति अहीर की भूमि	शासकीय (वन)	मुंशी पिता अनीरचंद यादव की भूमि	-	-	-	-
29	12	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कंचन पुत्र चतरु जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	गुलसी पिता अमीरचंद अहीर की भूमि	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (वन)	-	-	-	-
30	11	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	तुलसी, मुन्शी, रूपचंद, सरूपचंद, तेजलाल, सरस्तबती पिता अमीरचंद जाति अहीर, फुल्लो बेवा अमीरचंद जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	चैनवती पत्नी सेवकराम की भूमि	कंचन पुत्र चतरु जाति अहीर की भूमि	शासकीय (चारागाह)	चैनवती पत्नी सेवकराम की भूमि	-	-	-	-

31	9/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	जमनसी, मंगलसी, कन्हैया, रामचरण, जमनी, अमनिया पिता पंचम सुखमन पिता रोहनलाल जाति अहीर, सियाराम, जयराम, संगीता, पिता सुखमन जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय (चारगाह)	शासकीय (वन)	शासकीय (चारगाह)	शासकीय (चारगाह)	-	-	-	-
32	9/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.33	श्रीमति चैनवती पत्नी सेवकराम जाति मेहरा पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	विनोद पुत्र भोजलाल ब्राम्हण की भूमि	शासकीय (वन)	तुलसी बगैरा पुत्र अमीरचंद जाति अहीर की भूमि	शासकीय (भू-जल)	-	-	-	-
33	24/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	श्रीमति अलका बेवा मुरारीलाल जाति अग्रबाल, श्वेता उर्फ शशि पुत्री मुरारीलाल जाति अग्रबाल, नवनीत पुत्र मुरारीलाल जाति अग्रबाल, पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सेमबतीबाई पत्नी नारायणप्रसाद जाति गोड की भूमि	जमनसी, मंगलसी, बगैरा पुत्र पंचम, जाति अहीर की भूमि	गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद जाति मेहरा की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-

34	23/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	जमनसी, मंगलसी, कन्हैया, रामचरण, जमनी, अमनिया पिता पंचम सुखमन पिता रोहनलाल जाति अहीर, सियाराम, जयराम, संगीता, पिता सुखमन जाति अहीर तपशिला पत्नी पंचम जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद जाति मेहरा की	शासकीय (रास्ता)	भगोबाई पत्नी रामचरण अहीर की भूमि	अलका बेवा मुरारीलाल जाति अग्रवाल, की भूमि	-	-	-	-
योग				7.92									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 5617-भू-अर्जन-2023.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - रामगढ जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - सिवनी
 (ख) तहसील - छपारा
 (ग) नगर/ग्राम - रामगढ प.ह.नं. :- 30 रा.नि.मं. :- चमारीखुर्द
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 17.55 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधीन अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मी)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रकार	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	89	भूमिस्वामी	कृषि	2.83	मयाराम पिता लक्ष्मण लछमन पिता शंकर इनवर पिता रामलाल रामलाल पिता शंकर महतरानी पत्नी सुखराम जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	वनभूमि शासकीय	मेतो ध. प.स्व. भागचंद की भूमि	वनभूमि शासकीय	सागौन भिलमा महुआ चार साज	5 5 4 6 1	-	-
2	90/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	बल्लू पिता भागचंद जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	बहोरा पिता भागचंद की भूमि	मेतो ध. प.स्व. भागचंद की भूमि	-	-	-	-
3	90/2	भूमिस्वामी	कृषि	2.00	चैनसिंग पिता लखनसी जाति गौंड नि. खमरिया भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	शासकीय रास्ता	बहोरा पिता भागचंद की भूमि	सागौन भिलमा महुआ	1 1 6	-	-

10	95/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	राजकुमार पिता फागूलाल जाति गौंड नि. छपारा भूमिस्वामी	राजकुमार पि. फागूला ल की शेष भूमि	सहसकु मार पि. फागूला ल की भूमि	सहसकु मार पि. फागूला ल की भूमि	सहसकु मार पि. फागूला ल की भूमि	-	-	-	-
11	95/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	कन्यैयालाल पिता रामकुमार जाति गौंड नि. ग्र. भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	सहसकु मार पि. फागूला ल की भूमि	शारदाकु मार पि. फागूला ल की भूमि	भू-जल पानी के नीचे	महुआ	1	-	कच्चा कुआ-1
12	95/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	सहसकुमार पिता फागूलाल जाति गौंड नि. ग्र. भूमिस्वामी	शारदाकु मार पि. फागूला ल की भूमि	गिरजाबा ई पि. गलझर की भूमि	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	महुआ चार	1 3	-	-
13	95/ 4	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	शरदकुमार पिता फागूलाल जाति गौंड नि. ग्र. भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	सहसकु मार पि. फागूला ल की भूमि	आसुरकु मार पि. फागूला ल की भूमि	कन्हैया पि. रामकुमा र की भूमि	सागौन बेर चार	2 1 4	-	-
14	95/ 5	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	आसुरकुमार पिता फागूलाल जाति गौंड नि. ग्र. भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	सहसकु मार पि. फागूला ल की भूमि	आसुरकु मार पि. फागूला ल की शेष भूमि	कन्हैया पि. रामकुमा र की भूमि	महुआ चार	1 2	-	-
15	72/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.55	धूरीलाल पिता जाति गौंड नि.ग्र. भूमिस्वामी	धूरीलाल पि. तुलसी की शेष भूमि	बल्लू पि. भागचंद की भूमि	भू-जल पानी के नीचे	वनभूमि शासकीय	-	-	-	-
16	96	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	विनोदकुमार पिता जाति गौंड नि.ग्र. भूमिस्वामी	विनोद पि. रगघू की शेष भूमि	विनोद पि. रगघू की शेष भूमि	अतरला ल पि. फूलझर की भूमि	राजकुमा र पि. फागूला ल की भूमि	-	-	-	-
17	98	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	छोटी बाई बेवा अतरलाल चिरौजा बाई बेवा अतरलाल अनीता यशपाल जयश्री पिता अतरलाल सरस्वती बेवा अनिल लीना राजनंदनी लेखा दुर्गशानंदनी पिता अनिल चित्रपाल पिता अतरलाल जाति गौंड नि. ग्र. भूमिस्वामी	छोटीबाई बेवा अतरला ल बगैरह की शेष भूमि	छोटीबाई बेवा अतरला ल बगैरह की शेष भूमि	रामलाल पि. झाड़ू की भूमि	छोटीबाई बेवा अतरला ल बगैरह की शेष भूमि	-	-	-	-
18	99/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रामलाल पिता जाति गौंड नि.ग्र. भूमिस्वामी	रामलाल पि. झाड़ू की शेष भूमि	रामलाल पि. झाड़ू की शेष भूमि	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल की भूमि	अतरला ल पि. फूलझर की भूमि	-	-	-	-
19	99/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल नीलमराज प्रेमप्रकाश निधि दीपकराज पिता बाबूलाल नि.ग्र. भूमिस्वामी	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल की शेष भूमि	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल की शेष भूमि	पुरुषोत्त म पि. इन्दरला ल की भूमि	रामलाल पि. झाड़ू की भूमि	-	-	-	-

20	99/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	पुरुषोत्तम पिता इन्दरलाल जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	पुरुषोत्तम पि. इन्दरलाल की शेष भूमि	पुरुषोत्तम पि. इन्दरलाल की शेष भूमि	गीता पि. झाड़ू की भूमि	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल की भूमि	-	-	-	-
21	100	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	गीता पिता झाड़ू जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	गीता पि. झाड़ू की शेष भूमि	गीता पि. झाड़ू की शेष भूमि	रास्ता शासकीय	पुरुषोत्तम पि. इन्दरलाल की भूमि	-	-	-	-
22	112 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	परसाद पिता मंगलसी जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विमानसिंह पि. परसादी की भूमि	रास्ता शासकीय	परसाद पि. मंगलसी की शेष भूमि	परसाद पि. मंगलसी की शेष भूमि	-	-	-	-
23	112 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	गुलाबसी पिता परसाद जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	विमानसिंह पि. परसादी की भूमि	परसाद पि. मंगलसी की भूमि	गुलाबसी पि. परसाद की शेष भूमि	गुलाबसी पि. परसाद की शेष भूमि	-	-	-	-
24	112 /3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	विमानसिंह पिता परसादी जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	चैनसिंह पि. परसादी की भूमि	गुलाबसी पि. परसाद की भूमि	विमानसिंह पि. परसादी की शेष भूमि	विमानसिंह पि. परसादी की शेष भूमि	-	-	-	-
25	112 /4	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	चैनसी पिता परसाद जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	उमेरसी पि. परसाद की भूमि	विमानसिंह पि. परसादी की भूमि	विमानसिंह पि. परसादी की भूमि	विमानसिंह पि. परसादी की भूमि	-	-	-	-
26	112 /5	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	उमेरसी पिता परसाद जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	उमेरसी पि. परसाद की शेष भूमि	चैनसी पि. परसाद की भूमि	उमेरसी पि. परसाद की शेष भूमि	उमेरसी पि. परसाद की शेष भूमि	-	-	-	-
27	114 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	बालकराम पिता खुमानसिंह जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	बालकराम पि. खुमानसिंह की शेष भूमि	बालकराम पि. खुमानसिंह की शेष भूमि	तामसिंग पि. खुमान की भूमि	सोमती ध.प.स्व. खुमान की भूमि	-	-	-	-
28	114 /3	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	तामसिंग पिता खुमानसिंह जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	तामसिंग पि. खुमान की शेष भूमि	तामसिंग पि. खुमान की शेष भूमि	भू-जल पानी के नीचे	बालकराम पि. खुमानसिंह की भूमि	-	-	-	-
29	114 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	सोमती ध.प.स्व. खुमान तामसिंग बालकराम रामसिंग कल्लोबाई पि0 खुमान हलकिया ध0प0स्व0 गलझरिया कोमली थानी रामभरोस बीरन सीताराम पुनिया सुबिया पि0 गलझरिया मानसी सामना ध0प0स्व0 कोमल मोहनसिंह पि0 कोमल जानकी मानो प्रेम बिनो गीता सीता पि0 गलझरिया जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	सोमती ध.प.स्व. खुमान बगैरह की शेष भूमि	सोमती ध.प.स्व. खुमान बगैरह की शेष भूमि	बालकराम पि. खुमानसिंह की भूमि	उमेरसी पि. परसाद की भूमि	-	-	-	-

30	115	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	कन्हैया हीरालाल टीकाराम पुत्र जगन्नाथ शिवकुमार रमेशकुमार महेशकुमार मेनतीबाई	महेश पि. सरवन बगैरह की शेष भूमि	भू-जल पानी के नीचे	भू-जल पानी के नीचे	तामसिंग पि. खुमान की भूमि	-	-	-	-
31	126 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	पिता सरवन नि.ग्रा भूमिस्वामी	महेश पि. सरवन बगैरह की शेष भूमि	भू-जल पानी के नीचे	भू-जल पानी के नीचे	तामसिंग पि. खुमान की भूमि	-	-	-	-
32	125	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	जानकीबाई पति बुद्धलाल जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	इन्दर पि. लालजू की भूमि	रमेश पि. सरवन की भूमि	रामशंकर पि. बालकचंद की भूमि	भू-जल पानी के नीचे	-	-	-	-
33	126 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	रमेश पिता सरवन जाति परधान नि.ग्रा भूमिस्वामी	जानकीबाई पति बुद्धलाल की भूमि	रास्ता शासकीय	कन्हैया पि. जगन्नाथ की भूमि	भू-जल पानी के नीचे	-	-	-	-
34	218	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	सावित्री सोहद्रा पुत्री रुक्खन जाति गौंड नि. ग्रा भूमिस्वामी	रामशंकर पि. बालकचंद की भूमि	चारगाह शासकीय	चारगाह शासकीय	कन्हैया पि. जगन्नाथ की भूमि	-	-	-	-
35	284 /3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	नरेन्द्रकुमार रामकुमार पिता बिसनू प्रीति बेवा भूपेन्द्र कुमार अंश नाबा. पिता भूपेन्द्र कुमार संरक्षक प्रीति जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	अनुपचंद पि. अमरु की भूमि	चैनसिंह पि. रामू की भूमि	मु. सिया पि. सुमरसी की भूमि	चारगाह शासकीय	-	-	-	-
36	284 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	मु. सिया पिता सुमरसी जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी	अनुपचंद पि. अमरु की भूमि	मु. सिया पि. सुमरसी की शेष भूमि	वीरेन्द्र पि. बल्लू लाल की भूमि	चारगाह शासकीय	-	-	-	-
37	284 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	वीरेन्द्र गोविन्द राजकुमारी पिता बल्लू लाल जाति गौंड नि. ग्रा भूमिस्वामी	अनुपचंद पि. अमरु की भूमि	रास्ता शासकीय	अब्दरहमान पि. शेख सफीक की भूमि	सुकलो ध.प.स्व. सुमरसी की भूमि	-	-	-	-
38	287 /1 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	जमशेदाबी पति मरहुम शेख शरीफ जाति मुसलमान नि.ग्रा भूमिस्वामी	मो. शफी पि. शेख मजीद की भूमि	रास्ता शासकीय	शजादी बी पति मो. शफी	अब्दरहमान पि. शेख सफीक की भूमि	-	-	-	-
39	287 /1 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अब्दरहमान पिता शेख शफीक जाति मुसलमान नि.ग्रा भूमिस्वामी	मो. शफी पि. शेख मजीद की भूमि	अमरवती पति सपनलाल की भूमि	जमसेदा बी पत्नी मरहुम शेख शरीफ की भूमि	वीरेन्द्र पि. बाबूलाल की भूमि	-	-	-	-
40	287 /2 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सहजादीबी पत्नी मो. शफी जाति मुसलमान नि.ग्रा भूमिस्वामी	मो. आबिर पि. मो. शफी की भूमि	जमसेदा बी पत्नी मरहुम शेख शरीफ की भूमि	मो. युसूफ पि. अब्दुल हाकिम की भूमि	चारगाह शासकीय	-	-	-	-

41	271	भूमिस्वामी	खु	0.15	मो. युसुफ अयूब पिता अब्दुल हकीम मँसूर शम्सगोस फिरदोस पिता मुस्तकीम इब्राहीम शेख जमाल शे. जब्बार जलील वाहिद पिता अ. करीम रज्जाक बाहब पि. शेख मोहम्मद जाति मुसलमान नि.ग्रा भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	रास्ता शासकीय	श्रीमति सलमा पत्नि मो. साबिर की भूमि	मो. शफी पि. शेख मजीद की भूमि	-	-	-	-
योग	43			17.55						-	14 1	2	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- रामगढ जलाशय परियोजना के बांध एवं मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 21 जुलाई 2023

प्र.क्र. 01-2023-24-अ-82-भू-अर्जन-सी.एम. राईज स्कूल-सुरजनपुर-7203.- जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना द्वारा सी. एम. राईज स्कूल ग्राम सुरजनपुर, तहसील व जिला मुरैना के निर्माण हेतु मौजा ग्राम सुरजनपुर, पटवारी हल्का नम्बर 66, तहसील मुरैना, जिला मुरैना की निजी भूमि का खसरा नम्बर 180 व रकबा 1.450 हेक्टेयर के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. प्रस्तावित भूमि उक्त परियोजना हेतु कलेक्टर, जिला मुरैना एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन/समुचित सरकार (Appropriate Govt.) अर्जन करना चाहती है, समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रमांक 30 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2015 के नियम-5 के तहत निर्धारित प्रारूप ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्रारूप ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित ही जा रही है.

प्रारूप ख एवं ग

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्रारूप-ख

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1.	परियोजना का नाम	सी.एम. राईज स्कूल
2.	लोक प्रयोजन	सी.एम. राईज स्कूल के निर्माण हेतु
3.	स्थल	ग्राम सुरजनपुर, पटवारी हल्का नं. 66
4.	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 1.450 हेक्टेयर
5.	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो	सी.एम. राईज स्कूल के निर्माण हेतु ग्राम में अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है.
6.	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठीभूमि नियंत्रण सहित.	शिक्षा अधिकारी, जिला मुरैना
7.	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य पूर्ण किया जाना है
8.	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है
9.	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	निजी भूमि 1.450 हेक्टेयर
10.	भूमि का मूल्य	गाईड लाइन 2023-24 सिंचित भूमि की दर अनुसार.
11.	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	निरंक
12.	परिसम्पत्तियां	कोई परिसम्पत्ति प्रभावित नहीं हो रही
13.	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई.	विस्थापन नहीं हो रहा है.
14.	सामाजिक समाघात	सामाजिक समाघात सुधार लागू नहीं.
15.	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो	अन्य किसी अनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किये जाने पर विचार किया गया उसे साध्य नहीं पाया गया.

16. प्रस्ताव का निष्कर्ष

प्रस्तावित भूमि पर सी.एम. राईज स्कूल निर्माण कार्य से कोई भी परिवार व्यक्ति पुनर्व्यस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को शिक्षा की सुविधा बढ़ेगी, भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका उपार्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षेत्र के विकास हेतु भूमि का अर्जन किया जाना उचित है.

प्रारूप-ग

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध रिपोर्ट

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | प्रभावित परिवारों की जीविका | प्रभावित नहीं |
| 2. | लोक और सामुदायिक परिसरपत्तियां | प्रभावित नहीं |
| 3. | अस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें लोक परिवहन | प्रभावित नहीं |
| 4. | जल-मल निकासी एवं स्वच्छता | प्रभावित नहीं |
| 5. | पेयजल के स्रोत | प्रभावित नहीं |
| 6. | पशुओं के लिए पेयजल स्रोत | प्रभावित नहीं |
| 7. | समुदायिक तालाब | प्रभावित नहीं |
| 8. | जन सुविधाएं (पोस्ट आफिस, उचित मूल्य की दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान). | कोई जनसुविधा प्रभावित नहीं हो रही है |
| 9. | वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा. | भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 04 (5) उपधारा (01) अनुसार बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर 8 तक में कोई भी कारक प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है. |
| 10. | अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा. | यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत किये जाते हैं तो आपेक्ष के विश्लेषण पश्चात् जनसुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा. |

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्र. एफ. Rev.-6-0008-2023-Sec. 7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, बालाघाट जिले की तहसील बालाघाट की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील लामता का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित है।

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तहसील बालाघाट (मुख्यालय बालाघाट)	तहसील बालाघाट के प. ह. नं. 01 से 16 तक, कुल 16 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।	बालाघाट	तहसील बालाघाट के प. ह. नं. 17 से 56 तक, कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे।	उत्तर में—प्रस्तावित तहसील लामता पूर्व में—जिले की तहसील परसवाड़ा दक्षिण में—जिले की तहसील किरनापुर पश्चिम में—जिले की तहसील वारासिवनी।
2	-	-	लामता	वर्तमान तहसील बालाघाट के प. ह. नं. 01 से 16 तक, कुल 16 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।	उत्तर में—मण्डला जिले की नैनपुर तहसील। पूर्व में—जिले की तहसील परसवाड़ा दक्षिण में—जिले की तहसील बालाघाट पश्चिम में—सिवनी जिले की केवलारी तहसील।

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

क्र. एफ. Rev.-6-0015-2023-Sec. 7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, खरगोन जिले की तहसील महेश्वर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील करही का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण	परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तहसील महेश्वर (मुख्यालय महेश्वर)	तहसील महेश्वर के प. ह. नं. 35 से 38, 40, 46 से 73 तक, कुल 33 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	महेश्वर	तहसील महेश्वर के प. ह. नं. 01 से 34, 39 एवं 41 से 45 तक, कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे.	उत्तर में—इन्दौर जिले की तहसील महु पूर्व में—प्रस्तावित तहसील करही दक्षिण में—नर्मदा नदी बाद कसरावद तहसील. पश्चिम में—धार जिले की तहसील धमनोद.
2	-	-	करही	वर्तमान तहसील महेश्वर के प. ह. नं. 35 से 38 एवं 40, 46 से 73 तक कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	उत्तर में—इन्दौर जिले की तहसील महु पूर्व में—बड़वाह तहसील दक्षिण में—नर्मदा नदी बाद कसरावद एवं सनावद तहसील. पश्चिम में—वर्तमान तहसील महेश्वर.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

क्र. एफ. Rev.-6-0017-2023-Sec. 7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा, रायसेन जिले के अनुविभाग, बरेली की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन अनुविभाग, उदयपुरा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से तीस दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान अनुविभाग का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग का नाम एवं उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गए क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बरेली, मुख्यालय बरेली	तहसील उदयपुरा, तहसील देवरी का समस्त क्षेत्र अपवर्जित होगा.	बरेली, मुख्यालय बरेली	बरेली अनुविभाग में तहसील बरेली, तहसील बाड़ी का समस्त क्षेत्र समाविष्ट होगा.	उत्तर में—अनुविभाग सिलवानी पूर्व में—तहसील उदयपुरा दक्षिण में—जिला नर्मदापुरम पश्चिम में—अनुविभाग, गौहरगंज.
2	-	-	उदयपुरा, मुख्यालय उदयपुरा.	प्रस्तावित उदयपुरा अनुविभाग में तहसील उदयपुरा, तहसील देवरी का समस्त क्षेत्र समाविष्ट होगा.	उत्तर में—अनुविभाग, सिलवानी पूर्व में—जिला सागर एवं नरसिंहपुर दक्षिण में—जिला नर्मदापुरम एवं नरसिंहपुर पश्चिम में—तहसील बरेली

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.